

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

परमजीत कौर उर्फ तारावन्ती बनाम त्रिलोक आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 45 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/२५६

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

11.06.2025

प्रार्थीगण परमजीत कौर उर्फ तारावन्ती पत्नी बहादूर सिंह जाति बावरी निवासी गांव कच्चाभान डाकखाना मेहरसिंहवाला तहसील जीरा जिला फिरोजपुर पंजाब आदि की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी 16.07.2025 तक तहसील श्री करणपुर के राजस्व ग्राम 32 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 52/39 के मुर्ब्बा नम्बर 13, 39 की कुल 5.527 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 त्रिलोक पुत्र कालूराम के नाम दर्ज 2.851 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थीगण के हक व हिस्सा भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा इसका किसी प्रकार से बेचान, रहन एवं हस्तान्तरण नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नहीं करने पर व वकील प्रार्थी द्वारा बहस हेतु दो से अधिक अवसर चाहने पर अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक में राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व राजस्थान कृषि साख परिचलन(कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की कार्यवाही पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली दिनांक 16.07.2025 को पेश हो।

नोटिस जारी
310
12/6/25



सहायक क्लर्क एवं फर्द
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)